पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 148/17

अनवान :

1. आदराम पि0मु0 हीरा जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. नन्दराम पुत्र रेडा जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. निहालसिंह } पिसरान अमरसिंह पुत्र रेडा जाति जाट
3. रामसिंह } निवासीगण करनपुरा तहसील भादरा।
4. नाथी पत्नी अमरसिंह पुत्र रेडा जाति जाट निवासी करनपुरा।
5. सिलोचना पुत्री अमरसिंह पुत्र रेडा जाति जाट निवासी करनपुरा हाल भेरूवाली तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कृष्ण गर्ग एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 5 श्री मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने एवं वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 1 एसडीआर के मु0नं0 36 के किला नं0 21 की 0.253 है0 मु0नं0 37 के किला नं0 12, 16 से 19, 22 से 25 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 49 के किला नं0 15/2 की 0.1012 है0 मु0नं0 50 के किला नं0 1 से 4, 7 से 14 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 58 के किला नं0 19 से 21 प्रत्येक की 0.253 है0, किला नं0 22/2 की 0.1012 है0 मु0नं0 59 के किला नं0 1 से 4 व 8 प्रत्येक की 0.253 है0 इस प्रकार कुल तादादी 7.7924 है0 जिसमें नहरी 2.0252 है0 बारानी 5.06672 है0 रास्ता .100 है0 है, में रेडा वल्द डाबा के 1/4 हिस्सा का वादी आदराम खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त वर्णित आराजी की प्रविष्टि से रेडा वल्द डाबा का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादी आदराम को 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.11.17 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 148/17

अनवान :

1. आदराम पि0मु0 हीरा जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. नन्दराम पुत्र रेडा जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. निहालसिंह } पिसरान अमरसिंह पुत्र रेडा जाति जाट
3. रामसिंह } निवासीगण करनपुरा तहसील भादरा।
4. नाथी पत्नी अमरसिंह पुत्र रेडा जाति जाट निवासी करनपुरा।
5. सिलोचना पुत्री अमरसिंह पुत्र रेडा जाति जाट निवासी करनपुरा हाल भेरूवाली तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक व दुरूस्ती रिकार्ड
अन्तर्गत धारा 88, 89 राज.काश्त.अधिनियम
उपस्थिति : वकील श्री कृष्ण गर्ग **: वादी**
वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी **: प्रतिवादी सं0 1 ता 5**
निर्णय **दिनांक :** 17.11.17

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि डाबा के 5 बेटे हुए जिसमें से डाबा के एक बेटे लिच्छू ने डाबा के हिस्से की खातेदारी में अपने हक की घोषणा करवाकर अपना खाता में माल अलग से कायम करवा लिया शेष डाबा के चार वारिसान के नाम चक 1 एसडीआर में निम्न वर्णित भूमि कागजात माल में दर्ज हुई।

चक 1 एसडीआर के मु0नं0 36 के किला नं0 21 की 0.253 है0 मु0नं0 37 के किला नं0 12–16 से 19, 22 से 25 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 49 के किला नं0 15/2 की 0.1012 है0 मु0नं0 50 के किला नं0 1 से 4, 7 से 14 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 58 के किला नं0 19 से 21 प्रत्येक की 0.253 है0, किला नं0 22/2 की 0.1012 है0 मु0नं0 59 के किला नं0 1 से 4 व 8 प्रत्येक की 0.253 है0 इस प्रकार कुल तादादी 7.7924 है0 जिसमें नहरी 2.0252 है0 बारानी 5.06672 है0 रास्ता .100 है0 है।

उक्त वाद भूमि में विवाद केवल जमाबन्दी में दर्ज रेडा वल्द डाबा के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा खातेदारी से सम्बधित है। रेडा वल्द डाबा की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान प्रतिवादी 1 से 5 है। जमाबन्दी में दर्ज शेष खातेदारान की हिस्सा कस्सी से कोई विवाद नहीं है। इसलिए उन्हे दावा में पक्षकार नहीं बनाया गया है व ना ही डाबा के शेष वारिसान से सम्बधित कोई विवाद है इसलिए उन्हे भी पक्षकार दावा दर्ज नहीं किया गया है।

श्री रेडा पुत्र डाबा के दो वारिस उसके दो लड़के अमरसिंह व नन्दराम हुये जिनमें से अमरसिंह की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान प्रतिवादी सं0 2 से 5 है व रेडा का पुत्र नन्दराम प्रतिवादी नं0 1 है। रेडा की मृत्यु अर्सा करीब 25 वर्ष पहले हो गई थी। रेडा की मृत्यु के बाद रेडा के वारिसान अमरसिंह व नन्दराम ने अपने पिता के नाम दर्ज वाद भूमि में 1/4 हिस्सा खातेदारी की एक दस्तबरदारी अपने सगे चाचा आदराम पुत्र हीरा के पक्ष में दिनांक 07.02.08 को लिखवाकर बरोबरू गवाहान सुन व समझकर अपने अंगूठा/दस्तखत करके उप पंजीयक छानीबड़ी के यहां से तस्दीक रजिस्ट्री करवा दी तथा अपने पिता के नाम दर्ज 1/4 भाग में आदराम के पक्ष में अपना सम्पूर्ण हक छोड़कर दस्तबरदार हो गये तब से वादी उक्त 1/4 भाग पर काबिज काश्त है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए जबाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 6 पेरोकार राज को तर्क किया गया।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकी कायम की गई।

1. आया कि वादी रोही मौज़ा 1 एसडीआर की तादादी 7.792 है0 में रेडा वल्द उाबा के नाम दर्ज 1/4 भाग का वादी खातेदार है तथा कागजात माल से रेडा का नाम कलमजन करवाने का मजाज है ?

— वादी

2. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी में वादी आदराम के बयान करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 1 एसडीआर खाता सं0 94/99 सम्वत् 2070 से 73 प्रदर्श 1, चित्रप्रति नामान्तरकरण रजिस्टर चक 1 एसडीआर प्रदर्श 2, चित्रप्रति दस्तबरदारी दिनांक 08.02.2008 प्रदर्श 3ए प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रेडा के वारिसान ने वादी के पक्ष में दिनांक 08.02.2008 को विवादित आराजी की बाबत एक दस्तबरदारी उपपंजीयक छानीबडी के यहां तस्दीक करवाई थी किन्तु जमाबन्दीयात में अभी भी रेडा का नाम चला आ रहा है। वादी मुताबिक दस्तबरदारी अपने हकों की घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 1 एसडीआर में रेडा वल्द डाबा के नाम दर्ज भूमि में मुताबिक दस्तबरदारी दिनांक 08.02.2008 के अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। हस्तगत प्रकरण में 1 तनकी कायम की गई है। तनकीवार निर्णय इस प्रकार है।

तनकी सं0 1 : इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में चित्रप्रति नामान्तरकरण रजिस्टर चक 1 एसडीआर प्रदर्श 2 व चित्रप्रति दस्तबरदारी दिनांक 08.02.2008 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये है। प्रदर्श 2 नामान्तरकरण की प्रति के अवलोकन से रेडा की मृत्यु के बाद मुताबिक दस्तबरदारी रेडा का 1/4 हिस्सा का आदराम के नाम नामान्तरकरण होना साबित है व रेडा के वारिसान द्वारा दिनांक 08.02.2008 को हक त्याग करना दस्तबरदारी के अवलोकन से साबित है। एवं प्रतिवादीगण ने भी अपने जबाब दावा की मद सं0 4 में रेडा के 1/4 हिस्सा की

दस्तबरदारी वादी के पक्ष में बरोबरू गवाहान उप पंजीयक छानीबडी के तस्दीक करवाने के तथ्य को स्वीकार किया है। इस प्रकार यह तनकी वादी के पक्ष में व विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

हस्तगत प्रकरण में एक ही तनकी कायम की गई थी जो वादी के पक्ष में निर्णित हुई है व प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर अपना अधिकार साबित करने में असफल रहे है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 1 एसडीआर के मु0नं0 36 के किला नं0 21 की 0.253 है0 मु0नं0 37 के किला नं0 12, 16 से 19, 22 से 25 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 49 के किला नं0 15/2 की 0.1012 है0 मु0नं0 50 के किला नं0 1 से 4, 7 से 14 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 58 के किला नं0 19 से 21 प्रत्येक की 0.253 है0, किला नं0 22/2 की 0.1012 है0 मु0नं0 59 के किला नं0 1 से 4 व 8 प्रत्येक की 0.253 है0 इस प्रकार कुल तादादी 7.7924 है0 जिसमें नहरी 2.0252 है0 बारानी 5.06672 है0 रास्ता .100 है0 है, में रेडा वल्द डाबा के 1/4 हिस्सा का वादी आदराम खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त वर्णित आराजी की प्रविष्टि से रेडा वल्द डाबा का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादी आदराम को 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.11.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़